आदेश

जिला कैथल को दिनांक 14.04.2020 तक लॉकडाउन किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-I(A) की अनुपालना में माननीय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के कार्यालय के यादि पत्र क्रमांक 41/14/2016-5Pol दिनांक 27.03.2020 के निर्देशानुसार उक्त लॉकडाउन की अवधि में कृषि से जुड़े निम्नलिखित कार्यों/गतिविधियों को लॉकडाउन से मुक्त करने के आदेश तुरंत प्रभाव से पारित किये जाते हैं, परन्तु इस दौरान इन कार्यों में COVID-19 से सम्बंधित सरकार द्वारा जारी किये गए सभी दिशानिर्देशों/सावधानियों को बरतना सुनिश्चित करना सर्वोपरि होगा।

1. खाद, पेस्टिसाइड एवं बीज की निर्माण और पैकिंग इकाईयां।
2. किसानो एवं मजदूरों द्वारा खेतों में कृषि कार्यो का परिचालन करना।
3. कृषि मशीनरी से सम्बंधित कस्टम हायरिंग सेन्टर (CHC) का संचालन।
4. फसल कटाई एवं बिजाई से सम्बंधित कृषि मशीनरी जैसे कंबाइन हार्वेस्टर व अन्य मशीनरी का अंतर्ज़िला/अंतर्राज्यीय आवागमन।
5. कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टर, स्ट्रॉ रीपर व अन्य कृषि उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स और रिपेयरिंग की दुकानें।

उपायुक्त, कैथल।
29/3

पृष्ठ क्रमांक 3006-3012 दिनांक: 30/3/2020

इसकी एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस अधीक्षक, जिला कैथल।
2. उप मण्डल अधिकारी (ना.) कैथल, गुहला व कलायत।
3. उप कृषि निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कैथल।
4. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, कैथल।
5. जिला सूचना अधिकारी, (NIC) कैथल।

उपायुक्त, कैथल।

पृष्ठ क्रमांक 3013-15 दिनांक: 30/3/2020 29/3

इसकी एक एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. मुख्य सचिव महोदय, हरियाणा सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।
3. महानिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

उपायुक्त, कैथल।
29/3